

चैत्र 18, गुरुवार, शाके 1932—अप्रैल 8, 2010

Chaitra 18, Thursday, Saka 1932—April 8, 2010

भाग 6(ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियाँ आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतों राज विभाग

(श्रनुभाग-3)

कार्यालय आदेश

जयपुर, मार्च 29, 2010

संख्या एक. 51(1)आरडी/नरेगा/संवाद/2009-10:-श्री गिरर्ज कुमार मीणा को इस कार्यालय द्वारा संविदा पर दिनांक 22-9-2008 से दिनांक 21-9-2009 तक कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान में पंचायत समिति बाड़ी में कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-15 (6) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं उत्तरदायित्व के अनुसरण में जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, औलपुर द्वारा अपने पत्र त्रिमांक जिपघी/नरेगा/09/4435 दिनांक 21-12-2009 द्वारा श्री गिरर्ज कुमार मीणा को चार पृष्ठीय नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि श्री मीणा द्वारा नरेगा कार्यों में अपराधिक लापरवाही एवं बेईमानी कर असत्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए क्यों नहीं उन्हें भविष्य के लिए नियमित राजकीय अथवा संविदा सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जावे।

नोटिस में ग्राम पंचायत जपावली, पंचायत समिति बाड़ी के 20 कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मौके पर कार्यों को देखे बिना अपने हस्ताक्षर कर समायोजन करने का उल्लेख किया गया। इन कार्यों की जांच उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी द्वारा किये जाने पर रुपये 2385230.00 (तेईस लाख पिछासी हजार दो सौ तीस रुपये) का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। जिला कलेक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 9-10-09 की प्रति मिजवाते हुए पत्र त्रिमांक 3435 दिनांक 14-10-09 से श्री मीणा का स्पष्टीकरण भी चाहा गया था, परन्तु श्री मीणा द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर जिला कलेक्टर ने श्री मीणा को पुनः दिनांक 21-12-2009 को उक्त नोटिस जारी किया।

ग्रेवल सड़क मध्य पुलिया निर्माण जपावली लहकपुर तक स्कूल तक निर्माण कार्य में माप पुस्तिका संख्या 484 के पेज नम्बर 38 से 40 पर पुलिया का निर्माण किया जाना उल्लेखित कर राशि का समायोजन किया गया, जबकि मौके पर पुलिया का निर्माण ही नहीं हुआ। इसी प्रकार ग्रेवल सड़क मध्य पुलिया निर्माण ध्वजपुरा से कुर्रीपुरा की ओर पर एवं ग्रेवल सड़क निर्माण मध्य पुलिया नाथुसिंह के अड्डा से गुर्जरा कलां की ओर में भी बिना पुलिया बनाये पूरणता प्रमाण-पत्र जारी कर राशि का समायोजन श्री मीणा द्वारा किया गया एवं माप पुस्तिका संख्या 484 के पेज नम्बर 45 से 48 में कनिंघम अभियन्ता द्वारा पुलिया निर्माण किये जाने के असत्य अंकन की जांच नहीं की। मौके पर पुलिया के स्थान पर रपट बनाई गई एवं पुलिया का अंकन इसी माप पुस्तिका के पेज नम्बर 41 से 44 पर किया गया।

पत्थर खरंजा मध्य नाली के बुचा के घर से बुरा नाले की ओर नाली निर्माण किये बिना ही माप पुस्तिका के पेज संख्या 21 से 22 में नाली निर्माण दिखाकर राशि का समायोजन श्री मीणा द्वारा अनुमत किया गया।

इसी प्रकार पत्थर खरंजा मध्य नाली रामेश्वर पंडित के घर से बगियाँ की ओर लहकपुर को मौके पर कराये बिना ही उक्त माप पुस्तिका के पेज नम्बर 11 से 13 एवं माप पुस्तिका 540 के पेज नम्बर 78 से 79 में कर्जी अंकन कर समायोजन करवाया गया। इस प्रकार अन्य अनेक कार्यों में श्री मीणा द्वारा कार्य करवाये बिना ही ग्राम पंचायत जपावली को अपने कार्यकाल में 35.00 लाख से अधिक की राशि अभिम रूप से जारी की।

श्री मीणा द्वारा उन्हें जारी नोटिस का 6 पृष्ठीय जवाब पत्र त्रिमांक पस/बाड़ी/नरेगा/2009-10/998 दिनांक 6-2-2010 द्वारा दिनांक 22-2-2010 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत करवाया कि तकनीकी अधिकारियों द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र एवं माप पुस्तिका के आधार पर ही राशि का समायोजन किया गया था। मैं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी नहीं हूं। किये गये कार्यों को तकनीकी अधिकारी द्वारा ही देखा, समझा एवं परखा जा सकता है। अतः माप पुस्तिका में क्या अंकित है, यह मेरी जानकारी में नहीं रहा है। माप पुस्तिका भरने का दायित्व भी मेरा नहीं है। अतः मेरे ऊपर लगाये आरोप निराधार एवं अस्वीकार है। अतः मुझे दोषमुक्त किया जावे।

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रार्थी को दिये गये नोटिस एवं उसके द्वारा दिये गये जवाब की प्रति की समीक्षा कर इस कार्यालय को पत्र त्रिमांक नरेगा/2009-10/5098 दिनांक 25-2-2010 द्वारा मिजवाते हुए उल्लेख

किया कि श्री मीणा को उनकी राय में संविदा पर कार्यक्रम अधिकारी के रूप में रखा जाना राज्य हित में सही है। अतः श्री मीणा के साथ कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अनुबंध इस वायालय के स्तर पर किया गया है अतः श्री मीणा को संविदा सेवा के संबंध में आदेश मी इसी स्तर से जारी किया जाना उचित होगा।

श्री मीणा के साथ दिनांक 22-9-2010 को राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी परिषद् द्वारा ही दिनांक 21-9-2009 तक अनुबंध किया गया था। वर्तमान में श्री मीणा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट बीटीएस नं 12236/2009 में परित स्थगन आदेश दिनांक 12-10-2009 के क्रम में संविदा अनुबंध अवधि समाप्ति उपरोक्त श्री न्यायालय के अग्रिम आदेश तक कार्यरत है।

श्री मीणा द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, धौलपुर को प्रस्तुत स्पष्टीकरण किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। स्वयं परियोजना निदेशक, ईजीएस, राजस्थान सरकार द्वारा इस ग्राम पंचायत जपावली पहुँचकर दिनांक 21-10-2009 को विस्तृत निरीक्षण कर यह पाया था कि इस ग्राम पंचायत में असत्य पूर्णता प्रभाण-पत्र जारी किये गये एवं कार्यक्रम अधिकारी श्री गिरजि कुमार मीणा द्वारा नरेगा अधिनियम, 2005 की आधा 15(5) एवं नरेगा आपरेशनल गाइड लाइन, 2008 के पैरा 8.5.2 एवं 8.6.1 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में ग्राम पंचायत के सदस्यों से प्रति माह में दो बार आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त नहीं की और न ही ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई अग्रिम राशि के विरुद्ध वास्तविक व्यय एवं बिलों का ही सत्यापन किया, इस प्रकार ग्राम पंचायत ने फर्जी बिल बनाकर राजकीय धन का गबन करने वाले पंचायत कमिकों एवं अभियंताओं के अपराध में यह कार्यक्रम अधिकारी भी छड़यांत्रकर्ता के रूप में समिलित रहा है। वर्तमान विकास अधिकारी श्री गंगोसिंह द्वारा श्री मीणा सहित असत्य पूर्णता प्रभाण-पत्र जारी करने वाले सरपंच, सचिव, कनिष्ठ अभियंता एवं अधिशाधी अभियंता के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 360/2009 दिनांक 29-10-2009 अंतर्गत आधा 420, 467, 468, 471 एवं 120(बी) आईपीसी याना कंचनमुरा में दर्ज करवाई है।

अतः श्री मीणा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य उक्त विवेचन उपरोक्त नहीं पाया जाता है एवं श्री मीणा को राजकीय सेवा में किसी भी प्रकार से संविदा/नियमित रूप से नियोजन के अयोग्य ठहराया जाता है एवं श्री मीणा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट संख्या 12236/2009 में दिनांक 12-10-2009 को जारी स्थगन आदेश के प्रभावी रहने तक ही कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश की तामिल श्री गिरजि कुमार मीणा को रजिस्टर्ड डाक से करवाई जावे एवं एक अन्य प्रति जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, धौलपुर को भी व्यक्तिशः तामिल करने हेतु भेजी जावे। आदेश का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में भी करवाया जावे।

रामनिवास मेहता,
परि. निवे. एवं उप सचिव, ईजीएस।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जम्पुर।